



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

e-mail : pccf-jhk@gov.in, Phone : 0651-2481909 (O) / 2480413 (F)

पत्रांक : 11E-19(A)III-03/2018 Voll-I - 36/4

दिनांक : 6.11.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (सभी)।

वन संरक्षक (सभी)।

विषय: राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक 3569 दिनांक 30.10.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक पलाश सभागार में आहूत की गयी थी जो अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी गई है। पुनः उक्त बैठक दिनांक 11.11.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत की गई है।

उक्त बैठक में वन संरक्षक एवं उससे अन्यून स्तर के सभी पदाधिकारी द्वारा भाग लिया जायेगा। अनुरोध है कि सभी अद्यतन प्रतिवेदनों के साथ बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय। बैठक का एजेंडा पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।

ज्ञापांक : 11E-19(A)III-03/2018 Voll-I - 36/4 दिनांक : 6.11.19

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी)/वन संरक्षक (सभी)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, (सभी) को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने कार्यालय से संबंधित सभी प्रतिवेदनों को दिनांक 08.11.2019 तक "google sheet" में update कराना सुनिश्चित किया जाय।

वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।

ज्ञापांक : 11E-19(A)III-03/2018 Voll-I - 36/4 दिनांक : 6.11.19

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, एवं निदेशक भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।

दिनांक 11.11.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षात्मक बैठक का एजेंडा विवरणी :-

1. अवैध पातन, अवैध खनन, अतिक्रमण, न्यायिक मामले, पेन्शन मामले आदि निर्धारित मासिक प्रतिवेदन (सितम्बर 2019 तक) के आधार पर प्रमंडल एवं रीजनवार समीक्षा।
2. वर्ष 2019-20 में क्रियान्वित की जाने वाली विभागीय योजनाओं (कैम्पा तथा योजना मदों) के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारियों को प्रदत्त अर्द्ध-न्यायिक एवं कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत वादों के निष्पादन की वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा की गई समीक्षा की समीक्षा।
4. (क) कैम्पा बैंक खातों में अवशेष राशि को राज्य स्तरीय झारखण्ड, कैम्पा के बैंक खाते में अंतरित करने के आदेश का संपूर्ण अनुपालन की समीक्षा।
(ख) कैम्पा योजना अंतर्गत सम्पादित सभी कार्यों की सूचना तथा पोलिगॉन (Polygon) दोनों को e-Greenwatch Portal पर अपलोड करने की प्रमंडलवार अद्यतन स्थिति। (विहित प्रपत्र- I एवं II में)
(ग) सामान्य कैम्पा, IWMP मदों के मासिक लेखा समर्पण की अद्यतन स्थिति।
5. Web GIS based तथा अन्य Departmental Application के लिए data entry को प्रगति की स्थिति। (इस कार्यालय का पत्रांक 3510 दिनांक 04.10.2019 संदर्भित)
6. लेखा परीक्षा आपत्तियाँ के निष्पादन हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के साथ समीक्षा कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा। (इस कार्यालय का पत्रांक 3585 दिनांक 31.10.2019)
7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर संधारित बैंक खाताओं की वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनूयन पदाधिकारी द्वारा गंभीर समीक्षा की प्रगति की समीक्षा। (इस कार्यालय का पत्रांक 3245 दिनांक 07.10.2019 एवं पत्रांक 4631 दिनांक 18.10.2019)
8. वर्ष 1980 से अभी तक (2019-20) का वर्षवार एवं परियोजनावार अपयोजित वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित भूमियों की विवरणी तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड को भेजने के प्रगति की समीक्षा। (प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्य नियोजना का अ0स0 पत्रांक 1206-1214 दिनांक 04.10.2019 संदर्भित)
9. 5 वर्षों से अधिक लंबित वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों में प्रयोक्ता एजेन्सी को 3 माह के नोटिस निर्गत करने तथा प्राप्त response की समीक्षा। (प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड का पत्रांक 1231 दिनांक 11.10.2019)